[26/7/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 806]

तारांकित प्रश्न क्रमांक 806 के प्रश्नांश (ग) का परिशिष्ट "अ"
बहादुर सिंह चौहान

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

प्रश्न दिनांक 15-7-2022 - 26-7-2022

क्रमांक.4/शिका./सेल.7/उज्जैन संभाग/2022/1296 भोपाल,दिनांक 12-07-22

//आदेश//

डॉ.नीतिन आचार्य, चिकित्सा अधिकारी का स्थानांतरण संचालनालय के आदेश क्रमांक.1-जी/विज्ञप्त/सेल.5/2021/1269/दिनांक 26.07.2021 द्वारा सिविल अस्पताल महिदपुर, जिला उज्जैन से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोण्डवा जिला अलीराजपुर प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण किया गया था जिसके अनुक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन ने उनके आदेश क्रमांक./स्था./2021/9705/दिनांक 06.08.2021 के द्वारा डॉ.आचार्य को नवीन पदस्थापना स्थल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,सोण्डवा जिला अलीराजपुर के लिये कार्यमुक्त किया गया किंतु डॉ.आचार्य बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बगैर दिनांक 26.07.2021 से बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

जबकि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 7 जिसमें यह प्रावधान है कि "**कोई भी शासकीय सेवक,अवकाश (आकस्मिक अथवा अन्य) पर उसके स्वीकृत हो जाने के पूर्व, प्रगमन नहीं करेगा** "इस प्रकार डॉ.नितिन आचार्य द्वारा उक्त नियम,7 का उल्लंघन करने के साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम,3 के उप नियम,(i) (ii) (iii) का उल्लंघन कर,स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

अतः डॉ.नीतिन आचार्य,चिकित्सा अधिकारी,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,सोण्डवा जिला अलीराजपुर द्वारा विभाग से जारी आदेशों की अवहेलना करने के साथ ही अपने पदीय दायित्व/कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने के परिणामस्वरूप **डॉ.आचार्य को** मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम "1966"के नियम, 9 (1) के अंतर्गत **एतद् आदेश द्वारा** तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में डॉ.नीतिन आचार्य का मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,इन्दौर संभाग, इन्दौर के अधीन किया जाता है। डॉ.नीतिन आचार्य को निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

सचिव, सह स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा अनुमोदित।

(हस्ताक्षर) 11/7/22
(सपना एम.लोवंशी)
अपर संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.7/उज्जैन संभाग/2022/1297 भोपाल, दिनांक 12-7-22
प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. अपर मुख्य सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मन्त्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण के संदर्भ में प्रेषित।
02. कलेक्टर,जिला-अलीराजपुर/उज्जैन,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
03. मिशन संचालक,एन.एच.एम.कार्यालय,भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
04. अपर संचालक,विधान सभा शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक.806 दिनांक 15.07.2022 के संदर्भ में प्रेषित।
05. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित ।
06. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,इन्दौर,/उज्जैन संभाग,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अलीराजपुर,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
08. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन,म.प्र.की ओर उनके पत्र क्रमांक.9705/दिनांक 6.8.2021 के संदर्भ में प्रेषित।
09. संभागीय कोष एवं लेखा उज्जैन/इन्दौर संभाग,मध्यप्रदेश।
10. जिला कोषालय अधिकारी जिला उज्जैन/अलीराजपुर,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
11. डॉ.नीतिन आचार्य,चिकित्सा अधिकारी,सामु.स्वा.केन्द्र,सोण्डवा जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश द्वारा :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अलीराजपुर/उज्जैन, मध्यप्रदेश।
12. आदेश नस्ति ।

(हस्ताक्षर)
अपर संचालक (शिकायत)